पत्रांक –3/एम०–25/2020सा0प्र0 15557/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 14.8. 2023

विषय– विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष संबंधित गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग:– सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–1031 दिनांक–25.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रसंगवर्णित पत्रांक– 1031 दिनांक–25.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष संबंधित गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित निदेश परिचारित किया गया था–

"....... यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित साक्षी/गवाह की उपस्थिति हेतु आदेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में साक्षी/गवाह को सुनवाई की निर्धारित तिथि को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की बाध्यता है। यदि संचालन पदाधिकारी के आदेश के बावजूद संबंधित साक्षी/गवाह संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से इंकार करे तो संचालन पदाधिकारी Code of Civil Procedure, 1908 की धारा–32 के प्रावधान के तहत अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु सक्षम है।"

2. उक्त निदेश की सम्यक् विधिक समीक्षा के उपरान्त प्रसंगवर्णित पत्र द्वारा निर्गत मार्गदर्शन को उसके निर्गमन की तिथि 25.01.2021 से ही वापस लिया जाता है।

3. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित निर्णय से अपने अधीनस्थों को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।